राजस्थान साहित्य अकादमी

अकादमी सम्मान एवं पुरस्कार वर्ष 2017–18 हेतु प्रस्ताव एवं कृतियां आमंत्रित

सम्मान योजना

क्र.सं.	सम्मान	राशि
1.	साहित्य मनीषी	2,51,000/–
2.	जनार्दनराय नागर सम्मान	1,00,000/–
3.	विशिष्ट साहित्यकार सम्मान	51,000/–
4.	अमृत सम्मान	31,000/–

पुरस्कार योजना

क्र.सं.	पुरस्कार	शीर्षक विधा	राशि
1.	मीरां पुरस्कार	विधा–गद्य/पद्य (मौलिक, सृजनात्मक)	75,000/–
2.	सुधीन्द्र पुरस्कार	कविता	31,000/–
3.	रांगेय राघव पुरस्कार	कथा–उपन्यास	31,000/–
4.	देवीलाल सामर पुरस्कार	नाटक	31,000/–
5.	देवराज उपाध्याय पुरस्कार	निबन्ध–आलोचना	31,000/–
6.	कन्हैयालाल सहल पुरस्कार	रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज, यात्रावृत्त, आत्मकथा, जीवन–चरित्र आदि	31,000/–
7.	शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार	बाल साहित्य	31,000/–
8.	सुमनेश जोशी पुरस्कार	गद्य या पद्य की प्रथम एकमात्र प्रकाशित	21,000/–

इन पुरस्कारों में केवल वे ही पुस्तकें सम्मिलित की जा सकेंगी जो गत तीन वर्षों 2014, 2015 एवं 2016 में प्रकाशित हुई हों और वे ही लेखक भाग ले सकेंगे जो अकादमी पुरस्कार नियमों के अनुसार राजस्थान के निवासी हों। इन पुरस्कारों में केवल प्रकाशित कृतियाँ ही स्वीकार की जाएंगी। प्रत्येक पुरस्कार हेतु पुस्तक की चार–चार प्रतियाँ निर्धारित प्रपत्र के साथ भिजवाना आवश्यक है।

नवोदित प्रतिभा पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार	शीर्षक विधा	राशि
1.	सुधा गुप्ता पुरस्कार	कहानी	5,000/–
2.	चन्द्रदेव शर्मा पुरस्कार (कविता विधा में 5 कविताएँ दो प्रतियों में शेष विधाओं में एक–एक रचना दो प्रतियों में)	कविता, कहानी, एकांकी, निबंध	5,000/–
3.	परदेशी पुरस्कार (कविता विधा में 5 कविताएँ दो प्रतियों में, लघुकथा(चार) दो–दो प्रतियों में, शेष में एक–एक रचना दो प्रतियों में)	कविता, कहानी, निबंध और लघुकथा	5,000/–

अकादमी कार्यालय में उक्त सभी पुरस्कार की प्रविष्टियाँ भिजवाने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 2017 है। अधिक जानकारी, नियम, प्रपत्र मंगवाने के लिए अकादमी की वेबसाइट ूण्तेंनकतण्वतह या सचिव, राजस्थान साहित्य अकादमी, सेक्टर 04, उदयपुर(राज.) 313002 से सम्पर्क कर सकते हैं। दूरभाष सम्पर्क : 0294–2461717

अकादमी पुरस्कार नियम

1. अकादमी की इस पुरस्कार प्रतियोगिता में राजस्थान के निवासियों द्वारा रचित मौलिक साहित्यिक कृतियों को ही सम्मिलित किया जायेगा। इन पुरस्कारों में प्रकाशित कृतियां ही स्वीकार की जाएंगी। प्रत्येक पुरस्कार हेतु पुस्तक की चार–चार प्रतियां निर्धारित प्रपत्र के साथ भिजवाना आवश्यक है। राजस्थान निवासी से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा –

   (अ) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में निवास कर रहा हो, अथवा

   (ब) जो राजस्थान में अकादमी द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति से ठीक पूर्व कम से कम 10 वर्षों से निवास कर रहा हो/निवास स्थान का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है। अथवा

   (स) ऐसा प्रवासी राजस्थानी जिसका परिवार मूलतः राजस्थान का निवासी हो। और जिसने राजस्थान में न्यूनतम 10 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की हो।

2. अकादमी द्वारा प्रति वर्ष अग्रांकित पुरस्कार दिये जायेंगे :–

क्र.सं.	पुरस्कार शीर्षक	विधा	राशि
1.	मीरा पुरस्कार	गद्य/पद्य (मौलिक, सृजनात्मक, दिशापरक)	75,000/– रु.
2.	सुधीन्द्र पुरस्कार	कविता	31,000/– रु.
3.	रांगेय राघव पुरस्कार	कथा, उपन्यास	31,000/– रु.
4.	देवीलाल सामर पुरस्कार	नाटक, एकांकी	31,000/– रु.
5.	देवराज उपाध्याय पुरस्कार	निबंध, आलोचना, पाठ–सम्पादन, साहित्येतिहास	31,000/– रु.
6.	कन्हैयालाल सहल पुरस्कार	ललित गद्य, व्यंग्य, आत्म–कथा, जीवन–चरित्र, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज,यात्रावृत्त आदि	31,000/– रु.
7.	शम्भूदयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार	बाल साहित्य	31,000/– रु.
8.	सुमनेश जोशी पुरस्कार	प्रथम प्रकाशित एकमात्र कृति – गद्य या पद्य विधा	21,000/– रु.

3. (अ) जिन्हें सर्वोच्च 'मीरा पुरस्कार' प्राप्त होगा वे भविष्य में अकादमी की किसी भी पुरस्कार प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं कर सकेंगे ।

   (ब) 'सुमनेश जोशी' पुरस्कार विजेता भविष्य में इस पुरस्कार में भाग नहीं ले सकेंगे लेकिन वे अधिक राशि के अन्य पुरस्कारों में भागीदारी कर सकेंगे। सुधीन्द्र, रांगेय राघव, देवीलाल सामर, देवराज उपाध्याय, कन्हैयालाल सहल, शम्भूदयाल सक्सेना और सुमनेश जोशी पुरस्कार विजेता भविष्य में संबंधित विधा विशेष के पुरस्कार या कम राशि के पुरस्कारों में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे, लेकिन पाँच वर्ष पश्चात् वे समान राशि के अन्य पुरस्कारों में सम्मिलित हो सकेंगे । 'मीरा' पुरस्कार में सम्मिलित होने के लिए इन पुरस्कार विजेताओं पर कोई बन्धन नहीं होगा।

4. (अ) विश्वविद्यालयों और परीक्षा संबंधी अन्य ऐसी ही उपाधियों के लिए लिखे गये शोध ग्रन्थों को पुरस्कारार्थ सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(ब) वे कृतियाँ जो अन्य अकादमियों, केन्द्र या राज्य सरकारों, राजकीय संस्थानों से पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, इन पुरस्कारों के लिए सम्मिलित नहीं की जा सकेंगी।

5. सरस्वती सभा और संचालिका के सदस्य अपनी कालावधि में पुरस्कार और सम्मान योजना में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

6. पुरस्कारार्थ वे सब कृतियां प्रविष्ट की जा सकेंगी जो उस पुरस्कार की विज्ञप्ति निकलने के वर्ष के तीन वर्ष पूर्व तक की अवधि में प्रकाशित हो ।

7. सुमनेश जोशी पुरस्कार के अन्तर्गत 'प्रथम प्रकाशित कृति' से तात्पर्य लेखक की किसी भी विधा में प्रथम प्रकाशित एकमात्र पुस्तक से होगा।

8. पुरस्कार प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक रचनाकार को यह बतलाना होगा कि नियम सं. (1) की कौन सी उपधारा के अनुसार वे अपने आपको राजस्थान का निवासी मानते हैं ।

9. यदि किसी पुस्तक को अकादमी पुरस्कृत कर देती है और बाद में यह प्रकट होता है कि पुस्तक मौलिक नहीं है या नियमों का अतिक्रमण करती है तो उस स्थिति में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक परिणाम का दायित्व उस पुस्तक के लेखक का होगा । अकादमी को यह अधिकार होगा कि पुरस्कार राशि सम्बन्धित लेखक से वापस वसूल कर ले। साथ ही भविष्य में अकादमी की सभी योजनाओं में भागीदारी से उसे अमान्य कर दिया जायेगा।

10. पुरस्कारों की संख्या, राशि या विधा में समय–समय पर परिवर्तन करने का अधिकार संचालिका की संस्तुति पर सरस्वती सभा को होगा ।

11. पुरस्कारों के लिये चार पुस्तकें (प्रतियां) भेजने की एक निश्चित तिथि अकादमी कार्यालय द्वारा घोषित की जायेगी । घोषित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली पुस्तकों को पुरस्कारार्थ शामिल नहीं किया जायेगा ।

12. पुरस्कारों के संबंध में अकादमी अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया निर्णय गोपनीय एवं अंतिम होगा।

13. एक लेखक को एक वर्ष में अकादमी द्वारा एक ही पुरस्कार दिया जाएगा।

14. एक विधा में रचनाकार केवल एक ही पुस्तक पुरस्कार के लिए प्रस्तुत कर सकेगा।

15. अगर पुरस्कृत लेखक उस वर्ष सम्मानित होने वाली सूची में भी सम्मिलित है, या होते हैं तो उस लेखक से संबंधित सम्मान प्रक्रिया को आगे के लिए स्थगित किया जा सकेगा।

16. अकादमी की पुरस्कार प्राथमिक जांच समिति के स्तर प्रथक की गई । पुस्तक की एक प्रति कार्यालय में रखते हुए शेष तीन प्रतियां लेखक को वापस लौटा दी जायेंगी।

17. अकादमी की पुरस्कार प्राथमिक जांच समिति के निर्णयानुसार चयनित पुस्तकों को मूल्यांकन हेतु भिजवाया जायेगा। चयनित पुस्तकों को पुरस्कार प्राप्त न होने की स्थिति में नहीं लौटाया जायेगा। वे पुस्तकें मूल्यांकनकर्ता के पास ही रहेंगी एवं पुरस्कृत पुस्तक की प्रतियां नहीं लौटाई जाएंगी।

++++++++++++++++++++

सचिव
राजस्थान साहित्य अकादमी
उदयपुर – 313002

विषय : ———————————————————— पुरस्कार में प्रविष्टि।

संदर्भ : अकादमी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक ————————————

महोदय,

राजस्थान साहित्य अकादमी की पुरस्कार योजनान्तर्गत मैं अपनी प्रकाशित कृति की चार प्रतियां संलग्न/अलग डाक से प्रेषित कर रहा हूँ । एतद् संबंधी विवरण अग्रतः हैः–

0 ग्रंथ शीर्षक : ————————————————————————.

0 प्रेषित प्रतियां : ————————————————————————

0 विधा : ————————————————————————

0 प्रकाशन अवधि : ————————————.वर्ष ————————————

0 पृष्ठ संख्या : ————————————————————————

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि –

1 यह मेरी मौलिक कृति है ।

2 मेरी उक्त पुस्तक में – (अ) 'सति–प्रथा' का महिमा–मण्डन नहीं है। (ब) पुस्तक में 'साम्प्रदायिकता' सम्बन्धी कोई अंश नहीं है। और (स) यह अश्लील नहीं है।

3 मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मैं पुरस्कार नियम सं. 1 की उपधारा ———— के अनुसार राजस्थान का मूल निवासी/प्रवासी निवासी हूँ ।

4 मैं यह प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि मुझे इस पुरस्कार पर अन्य अकादमी, राज्य अथवा केन्द्र सरकार से पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है।

5 विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा उपाधि के लिए लिखा यह शोध ग्रंथ नहीं है ।

6 सुमनेश जोशी पुरस्कार प्रविष्टि के समय मेरी यही एकमात्र प्रकाशित कृति है ।

7 मैंने पुरस्कार नियम पढ़ लिए हैं और मैं उन्हें मान्य करता हूँ/करती हूँ।

भवदीय

दिनांक :

हस्ताक्षर : ————————————
पूरा नाम व पता : ————————————
————————————————————
————————————————————
दूरभाष नं : ————————————
मोबाइल नं.: ————————————

जीवन वृत्त

नवीन फोटो

पासपोर्ट आकार
का

नाम : .....

जन्म तिथि : .....

शिक्षा : .....

प्रकाशित साहित्य : .....

.....

.....

.....

पुरस्कार/सम्मान : .....

अन्य उपलब्धियां : .....

सम्प्रति : .....

सम्पर्क : .....

.....

.....

दूरभाष/मोबाईल : .....